

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com & Fax (05962) 231099 Fax230397

पत्रांक - 1844 / 12-1-(2) अल्मोड़ा, दिनांक, 10-11-2021।

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।
5. प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय :- वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित EDS आपत्ति का प्रतिउत्तर एवं नये प्रस्तावों की हार्ड कॉपी अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय की पत्र संख्या 415/12-1(2) दिनांक 28.07.2021।
महोदय,

सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 127/1जी-5055 दिनांक 12.07.2021 द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के समस्त प्रकरणों में अधोहस्ताक्षरी की सहमति उपरान्त प्रकरणों से सम्बन्धित हार्ड कॉपियां उनके कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी है। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके स्तर से वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित जो भी नये प्रस्ताव या EDS प्रतिउत्तर की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में उपलब्ध करायी जाती है, इन सभी हार्ड कॉपियों को अधोहस्ताक्षरी की सहमति के उपरान्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करें कि वे इस कार्यालय से अपने सम्बन्धित प्रकरणों की प्रतियां प्राप्त कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। हार्ड कॉपी उनके कार्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त ही सभी प्रकरणों को ऑनलाईन के माध्यम से भी उच्च स्तर को प्रेषित किया जायेगा। यदि प्रस्तावक विभाग द्वारा हार्ड कॉपी लजाने में विलम्ब किया गया तो, इसके लिए वे ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक

पत्रांक-2-19072/12-1(2) 150-28-4-2022

(प्रान्तीय स्तर लो.नि.वि. अल्मोड़ा)

प्रति लाय :- समस्त प्रस्तावक विभाग को इस आशय से उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा प्रेषित कि उपरोक्त पत्र में दिखे गए निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।